बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक–5/अ0प्र0–01–23/2024 326 (अ०) /पटना, दिनांक 9.1.25

प्रेषक,

कुमार अनिल सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
सूचना भवन, पटना।

द्वारा– श्री सत्येन्द्र कुमार मांझी–सहायक निदेशक–सह–जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी (प्रशिक्षु), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषयः– विभाग अन्तर्गत GATE Score के आधार पर कुल 231 पदों पर सहायक अभियंता (असैनिक) के नियोजन हेतु विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत संविदा के तहत GATE Score के आधार पर कुल 231 पदों पर सहायक अभियंता (असैनिक) का नियोजन किया जाना है।

अतः नियोजन से संबंधित विज्ञप्ति की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के दैनिक समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन कराते हुए प्रकाशित प्रेस कतरन की प्रति उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

9/1/25
(कुमार अनिल सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–5/अ0प्र0–01–23/2024 /पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/1/25
सरकार के संयुक्त सचिव

GATE Letters

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
विज्ञप्ति

सहायक अभियंता (असैनिक) के पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–1003 दिनांक–22.01.2021 में निहित शर्तों एवं प्रक्रियाओं के अधीन ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत सहायक अभियंता (असैनिक) के रिक्त पदों के विरूद्ध सहायक अभियंता (असैनिक) को संविदा के आधार पर अस्थायी नियोजन हेतु वैसे सुयोग्य उम्मीदवार, जो भारत के नागरिक है, से विहित प्रपत्र में Online आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

2. **कुल पदः**– 231 (दो सौ इकत्तीस)

कोटिवार कुल आरक्षण रिक्तियाँ/महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण						
अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग की महिला	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	गैर आरक्षित वर्ग
37	02	42	28	07	23	92

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–963, दिनांक–20.01.2016 एवं पत्रांक 2342 दिनांक 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत निम्न पद अनुमान्य हैः–

(i) अनुसूचित जाति (म0)– 13

(ii) अनुसूचित जनजाति (म0)– 00

(iii) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (म0)– 15

(iv) पिछड़ा वर्ग (म0)– 10

(v) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (म0)– 08

(vi) गैर आरक्षित वर्ग (म0)– 32

3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–2526, दिनांक–18.02.2016 के आलोक में बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को 02% क्षैतिज आरक्षण तथा संकल्प सं0–962 दिनांक 22.01.2021 द्वारा दिव्यागंजन अधिकार अधिनियमन, 2016 के आलोक में दिव्यांगता से ग्रस्त उम्मीदवार को क्षैतिज आरक्षण नियमानुसार देय होगा।

4. **आरक्षणः**– राज्य सरकार के आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा। इसमें आदर्श रोस्टर का अनुपालन किया जायेगा।

5. **मानदेयः**– रू0 80,000/–प्रतिमाह देय होगा। इसमें समय–समय पर संशोधन किया जा सकेगा।

6. **शैक्षणिक योग्यताः–**

(i) किसी भारतीय विश्वविद्यालय से सिविल अभियंत्रण में डिग्रीधारी हो अथवा किसी भारतीय अभियंत्रण महाविद्यालय से सिविल अभियंत्रण में सिविल अभियंत्रण के लिए डिप्लोमाधारी हो।

(ii) अभियंत्रण संस्थान भारत का सह–सदस्य हो अथवा अभियंताओं के संस्थान (भारत) से प्रशाखा ''अ'' और ''आ'' में उत्तीर्ण हुआ हो अथवा अभियंताओं के संस्थान (भारत) द्वारा प्रस्वीकृत संस्थान से प्रशाखा ''अ'' और ''आ'' के समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अन्य उपाधि प्राप्त की हो।

(iii) युनाईटेड किंगडम के किसी अभियंत्रण महाविद्याालय से विश्वविद्यालय डिग्रीधारी या डिप्लोमाधारी हो अथवा यथा स्थिति सिविल अभियंताओं के संस्थान का सह–सदस्य हो।

7. **उम्र सीमाः–** दिनांक 01.01.2025 को न्यूनतम् 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) के द्वारा समय–समय पर आरक्षण कोटिवार विनिश्चित उम्र सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिए।

8. नियोजन अवधिः– संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि, नियोजन की तिथि से एक वर्ष के लिए अथवा बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसोपरान्त नियमित नियुक्ति होने तक (जो पहले हो) होगी।

9. **चयन की प्रक्रियाः–** दिनांक 01.01.2025 को वैध GATE (Graduate Aptitude Test in Engineering) Score के आधार पर चयन किया जायेगा।

10. Online आवेदन दिनांक 14.01.2025 से 03.02.2025 के अपराह्न 03:00 बजे तक स्वीकार होगें। Online आवेदन के उपरान्त अभ्यर्थी आवेदन का फाईनल प्रिंट निकाल कर रख लेंगे और भविष्य में किसी भी प्रकार के पत्राचार हेतु आवेदन पत्र में अंकित निबंधन संख्या का उल्लेख करेंगे।

11. विज्ञापन एवं शर्तों से संबंधित सभी अधिकार विभाग के अधीन है। विभाग विज्ञापन को संशोधित/रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करता है।

12. विस्तृत जानकारी हेतु विभागकीय वेबसाईट https://rwdbihar.gov.in/ (https://biharbhumi.bihar.gov.in/RWDAEGate/) का अवलोकन किया जाय। इस वेबसाईट पर Online आवेदन करने का Link उपलब्ध है।

9/1/25

(कुमार अनिल सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव

Vigypti

बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

विज्ञप्ति

सहायक अभियंता (असैनिक) के पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–1003 दिनांक–22.01.2021 में निहित शर्तों एवं प्रक्रियाओं के अधीन ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत सहायक अभियंता (असैनिक) के रिक्त पदों के विरूद्ध सहायक अभियंता (असैनिक) को संविदा के आधार पर अस्थायी नियोजन हेतु वैसे सुयोग्य उम्मीदवार, जो भारत के नागरिक है, से विहित प्रपत्र में Online आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

2. **कुल पदः**– 231 (दो सौ इकत्तीस)

कोटिवार कुल आरक्षण रिक्तियाँ / महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण						
अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग की महिला	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	गैर आरक्षित वर्ग
37	02	42	28	07	23	92

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–963, दिनांक–20.01.2016 एवं पत्रांक 2342 दिनांक 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत निम्न पद अनुमान्य हैः–

(i) अनुसूचित जाति (म0)– 13
(ii) अनुसूचित जनजाति (म0)– 00
(iii) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (म0)– 15
(iv) पिछड़ा वर्ग (म0)– 10
(v) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (म0)– 08
(vi) गैर आरक्षित वर्ग (म0)– 32

3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–2526, दिनांक–18.02.2016 के आलोक में बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता / पोती / नाती / नतीनी को 02% क्षैतिज आरक्षण तथा संकल्प सं0–962 दिनांक 22.01.2021 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियमन, 2016 के आलोक में दिव्यांगता से ग्रस्त उम्मीदवार को क्षैतिज आरक्षण नियमानुसार देय होगा।
4. **आरक्षणः**– राज्य सरकार के आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा। इसमें आदर्श रोस्टर का अनुपालन किया जायेगा।
5. **मानदेयः**– रू0 80,000 / –प्रतिमाह देय होगा। इसमें समय–समय पर संशोधन किया जा सकेगा।
6. **शैक्षणिक योग्यताः**–
   (i) किसी भारतीय विश्वविद्यालय से सिविल अभियंत्रण में डिग्रीधारी हो अथवा किसी भारतीय अभियंत्रण महाविद्यालय से सिविल अभियंत्रण में सिविल अभियंत्रण के लिए डिप्लोमाधारी हो।
   (ii) अभियंत्रण संस्थान भारत का सह–सदस्य हो अथवा अभियंताओं के संस्थान (भारत) से प्रशाखा "अ" और "आ" में उत्तीर्ण हुआ हो अथवा अभियंताओं के संस्थान (भारत) द्वारा प्रस्वीकृत संस्थान से प्रशाखा "अ" और "आ" के समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अन्य उपाधि प्राप्त की हो।
   (iii) युनाईटेड किंगडम के किसी अभियंत्रण महाविद्यालय से विश्वविद्यालय डिग्रीधारी या डिप्लोमाधारी हो अथवा यथा स्थिति सिविल अभियंताओं के संस्थान का सह–सदस्य हो।
7. **उम्र सीमाः**– दिनांक 01.01.2025 को न्यूनतम् 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) के द्वारा समय–समय पर आरक्षण कोटिवार विनिश्चित उम्र सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिए।
8. नियोजन अवधिः– संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि, नियोजन की तिथि से एक वर्ष के लिए अथवा बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसोपरान्त नियमित नियुक्ति होने तक (जो पहले हो) होगी।
9. **चयन की प्रक्रियाः**– दिनांक 01.01.2025 को वैध GATE (Graduate Aptitude Test in Engineering) Score के आधार पर चयन किया जायेगा।
10. Online आवेदन दिनांक 14.01.2025 से 03.02.2025 के अपराह्न 03:00 बजे तक स्वीकार होगें। Online आवेदन के उपरान्त अभ्यर्थी आवेदन का फाईनल प्रिंट निकाल कर रख लेंगे और भविष्य में किसी भी प्रकार के पत्राचार हेतु आवेदन पत्र में अंकित निबंधन संख्या का उल्लेख करेंगे।
11. विज्ञापन एवं शर्तो से संबंधित सभी अधिकार विभाग के अधीन है। विभाग विज्ञापन को संशोधित / रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करता है।
12. विस्तृत जानकारी हेतु विभागकीय वेबसाईट **https://rwdbihar.gov.in/(https://biharbhumi.bihar.gov.in/RWDAEGate/)** का अवलोकन किया जाय। इस वेबसाईट पर Online आवेदन करने का Link उपलब्ध है।

(कुमार अनिल सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव

PR. No. 016945 (RWD) 2024-25

उक्त सूचना **www.state.bihar.gov.in/prdbihar** पर भी देखी जा सकती है।

रक्त की आवश्यकता पड़ने पर लाईसेन्स प्राप्त रक्त केन्द्रों से ही रक्त प्राप्त करें।